

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

2020/00253

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

श्री डॉ. पी.एम. सिंहदेव पुत्र श्री जी.रामचन्द्र मीना  
जाति मीना  
निवासी 7/8 गीता विहार  
हरी मार्ग जगतपुरा जयपुर  
जिला जयपुर  
किरम मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरौही

मुकदमा नं. 55 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
21.08.2020	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 17.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा पत्र क्र. PMS/Sirohi-bhoomi/2012 दिनांक 24.05.2012 पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10 जमा नहीं कराये है। अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरौही को दिनांक 17.07.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि उसके द्वारा पत्र क्र. PMS/Sirohi-bhoomi/2012 दिनांक 24.05.2012 पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित चाही गई समस्त सूचना उन्हे निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपीलांत द्वारा क्या सूचना चाही गई थी की प्रतिलिपी एवं निर्धारित शुल्क जमा कराने के सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	

(भगवती प्रसाद)  
जिला कलक्टर, सिरौही

